

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक: एफ. 14(222/14)2014/एफसीए/प्रमुवसं./ 5615

दिनांक 13.04.2023

मुख्य वन संरक्षक,
कोटा

विषय:- Permission for Running of existing gaushala in forest land, lakhawa distt. kota, Rajasthan. (Proposal No. FP/RJ/Others/25462/2017)

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक 1518 दिनांक 13.03.2023

महोदय,

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएँ/स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित है:-

1. पालना अपूर्ण। प्रस्ताव के साथ FRA प्रति, न्यायालय सहायक वन संरक्षक का निर्णय, उच्च न्यायालय का निर्णय जिसमें प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं, कि प्रति संलग्न करते हुये उप वन संरक्षक प्रकरण में तथ्यात्मक टिप्पणी संलग्न करें।
2. पालना अपूर्ण। क्षतिपूर्ति योजना अनुसार 1936 Plants की योजना संलग्न की गयी है। बकाया 3223 पौधों के DFL पर लगाये जाने की क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना मय kml file, GT sheet map & DGPS map संलग्न नहीं की गयी।
3. पालना अपूर्ण। प्रस्तावित गैर वनभूमि पर वन सीमाएँ अभी भी overlap हो रही है जिसका सही कराया जाना आवश्यक है। उप वन संरक्षक इस संबंध में उप वन संरक्षक सूचना प्रौद्योगिकी को प्रस्ताव भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।
4. पालना अपूर्ण। यूजर एजेन्सी द्वारा संशोधित के0एम0एल0 फाईल संलग्न की गयी है किन्तु वन सीमा वेबसाईट पर उपलब्ध सीमा से मिलान नहीं कर रही है।
5. पालना अपूर्ण। क्रय की गयी भूमि दो वनखण्डों के मध्य की भूमि है। जिला कलेक्टर से आवंटन दो हिस्सों में हुआ है तो मध्य की भूमि विक्रय पत्र द्वारा बाद में किस प्रकार क्रय हुई। गौशाला हेतु उनके पास उपलब्ध 2.48 है0 भूमि के अतिरिक्त अब और वनभूमि की आवश्यकता है भी या नहीं इसका विवरण संलग्न किया जावे। प्रस्ताव में 3.5654 है0 Open land है तो इसकी क्या आवश्यकता है, कारण स्पष्ट करें।
6. पालना अपूर्ण। उप वन संरक्षक द्वारा SIR किसी अन्य प्रस्ताव की अपलोड की गयी है। सही एवं नवीनतम SIR (Site Inspection Report) संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।
7. पालना अपूर्ण। प्रत्यावर्तित वन के नवीन खसरों कोई शपथ-पत्र संलग्न किये जाये एवं नवीन जमाबंदी संलग्न की जावे।

उक्त बिन्दुओं की सूचना भिजवाया जाना सुनिश्चित करे। उक्त आक्षेप सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

दिनांक 13.04.2023

क्रमांक: एफ. 14(222/14)2014/एफसीए/प्रमुवसं./ 5616-17

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक, कोटा
2. प्रयोक्ता अभिकरण संत श्री आशाराम जी गौशाला समिति, लखावा, कोटा

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर